

प्रेस नोट- दिनांक- 11.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के लिए सख्त निर्देश

अवैध रूप से पटाखा भण्डारण/ व्यापार कर रहा 01 व्यक्ति गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा आरोपी को मकान में भारी मात्रा में भण्डारण करके बेचने के लिए रखे अवैध अतिशबाजी पटाखों के साथ धर दबोचा

चेकिंग के दौरान थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लाला बाजार घर में भण्डारण करके बेचे जाने के लिए रखे अवैध पटाखा बरामद

02 बोरी अवैध पटाखा बरामद

आगामी त्योहार दशहरा, दीपावली के लिए भारी मात्रा में पटाखा व फुलझड़ी आदि का भण्डारण करके रखा था अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, का0 हरवीर सिंह, का0 अजीत शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन के दौरान, मुखबिर की सूचना पर सूचना पर दिनांक 10.10.2024 को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लाला बाजार में दुकान के सामने भारी मात्रा में भण्डारण करके बेचने के लिए रखे 02 बोरी अवैध अतिशबाजी पटाखा के साथ 01 अभियुक्त मोनू अग्रहरि पुत्र राम आधार अग्रहरि निवासी ग्राम लाला बाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मोनू अग्रहरि पुत्र राम आधार अग्रहरि निवासी ग्राम लाला बाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से कुल 02 बोरी अवैध पटाखा बरामद हुआ है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/24 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम मोनू अग्रहरि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से इतनी मात्रा में अतिशबाजी पटाखे रखने का, भण्डारण करने का लाईसेन्स मांगने पर नहीं दिखा सका तथा बताया कि मैं अपने दुकान के पास भण्डारण, विक्रय करता हूँ।

निकट भविष्य में दशहरा व दीपावली आने वाले त्यौहार पर बेचने के लिये मकान के सामने यहीं पर इकट्ठा कर रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त मोनू अग्रहरि पुत्र राम आधार अग्रहरि निवासी ग्राम लाला बाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

पुलिस टीम- उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, का0 हरवीर सिंह, का0 अजीत शर्मा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 रामनरेश मय हमराह हे0का0 प्रेमपाल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी, दबिश के दौरान अ0सं0- 345/06 धारा 2 /3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त केशलाल वर्मा पुत्र बचई निवासी ग्राम शकूहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण- केशलाल वर्मा पुत्र बचई निवासी ग्राम शकूहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 रामनरेश मय हमराह हे0का0 प्रेमपाल यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 दीपक कुमार, का रणजीत कुमार, का0 राजकिशोर, हे0का0 गंगासागर, का0 नारायण, म0का0 सपना द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0-45/23 धारा 147,148,149,323,336,504,506,354ख

भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त पन्नालाल बिन्द पुत्र बाबूलाल बिन्द निवासी ग्राम आमपुर बेरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण- पन्नालाल बिन्द पुत्र बाबूलाल बिन्द निवासी ग्राम आमपुर बेरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 दीपक कुमार, का रणजीत कुमार, का0 राजकिशोर, हे0का0 गंगासागर, का0 नारायण, म0का0 सपना थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस ने 03 बाल अपचारी गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद आरा मशीन के इंजन का हेड बरामद ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) व क्षेत्राधिकारी कुण्डा के कुशल नेतृत्व में अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एक्शन जारी ।

भोला का पुरवा लाला बाजार रोड से चोरी की 01 अदद आरा मशीन के इंजन का हेड बरामद, 03 बाल अपचारी गिरफ्तार ।

प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10.10.2024 की रात्रि वादी की आरा मशीन से इंजन का हेड चोरी करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में अन्तर्गत धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 03 नामजद (बाल अपचारी) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में दिनांक 11.10.2024 थाना मानिकपुर के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह कां० हरवीर सिंह, का0 अजीत शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत भोला का पुरवा लाला बाजार रोड से 03 बाल अपचारी को चोरी की 01 अदद आरा मशीन के इंजन का हेड के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद आरा मशीन के इंजन का हेड के बरामदगी के संबंध में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण – 03 बाल अपचारी ।

बरामदगी – चोरी की 01 अदद आरा मशीन के इंजन का हेड बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम पुलिस टीम - उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह कां० हरवीर सिंह, का0 अजीत शर्मा थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस ने 02 चोरों को दबोचा, चोरी की 01 बोरी गेहूँ व चोरी के 1950/- रुपये बरामद ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एक्शन जारी ।

भैसासुर मंदिर के आगे गलगली तिराहे के पास से चोरी की 01 बोरी गेहूँ व चोरी के 1950/- रुपये बरामद , 02 चोर गिरफ्तार

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंडल भासो से वादी के दुकान से 01 बोरी गेहूँ चोरी, व ग्राम कमौली बीरभानपुर में सेंध लगाकर दो सटे घरों से कुछ आभूषण व घरेलू सामान व पैसा चोरी हो गई थी ।

प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10-10-2024 की रात्रि में मंडल भासो के अशोक गुप्ता की दुकान से एक बोरी गेहूँ चोरी होने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 335/2024 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 02 नामजद के पंजीकृत किया गया था । दिनांक 29/08/24 को रात्रि में ग्राम कमौली बीरभानपुर में सेंध लगाकर दो सटे घरों से कुछ आभूषण व घरेलू सामान व पैसा चोरी होने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-295/2024 धारा-331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में दिनांक 11.10.2024 थाना बाघराय के उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह प्र0उ0नि0 विकास प्रधान, का0 बौबी चौधरी व का० अंकित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भैसासुर मंदिर के आगे गलगली तिराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1- सचिन सरोज पुत्र राकेश सरोज निवासी ग्राम छजईपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 2. दीपू सरोज पुत्र कमलेश सरोज निवासी ग्राम छजईपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को चोरी की 01 बोरी गेहूँ व चोरी के 1950/- रुपये व 01 अदद साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बाघराय के मु0अ0सं0 335/2024 धारा 303 (2) बीएनएस व मु0अ0सं0-295/2024 धारा-331(4), 305 बीएनएस के वांछित अभियुक्त हैं ।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी 01 बोरी गेहूँ व चोरी के 1950/- रुपये के बरामदगी के संबंध में मु०अ०सं० 295/24 व मु०अ०सं० 335/24 में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि यह गेहूँ की बोरी हम दोनो ने मिलकर दिनांक 10-10-2024 की रात्रि में मंडल भासो के अशोक गुप्ता की दुकान से चोरी कर लिया था जिसे हम लोग आज बेचने के उद्देश्य से खडे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ किए तो दोनों व्यक्तियों ने बताया कि दिनांक 29.08.24 को रात्रि में हम दोनों ने ग्राम कमौली बीरभानपुर में सेंध लगाकर दो सटे घरों से कुछ आभूषण व घरेलू सामान को व पैसा चोरी किया था पैसों को हम दोनों आपस में बाँट लिया था तथा आभूषण व घरेलू सामान को लालगोपालगंज में राहगीरों को बेच दिया था जिनका नाम पता नहीं जानते हैं, जिससे मिले रुपयों को हम दोनों ने आपस में बाँट लिया था जो खर्च हो गया। हम दोनों से जो पैसा बरामद हुआ है यह वही शेष चोरी के बचे हुए पैसे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. सचिन सरोज पुत्र राकेश सरोज निवासी ग्राम छजईपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़।
2. दीपू सरोज पुत्र कमलेश सरोज निवासी ग्राम छजईपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 335/2024 धारा 303 (2) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
02. मु०अ०सं०-295/2024 धारा-331(4), 305 बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी – चोरी की 01 बोरी गेहूँ।

चोरी के 1950/- रुपये के बरामद।

01 अदद साइकिल।

पुलिस टीम - उ०नि० दिनेश कुमार मय हमराह प्र०उ०नि० विकास प्रधान, का० बौबी चौधरी व का० अंकित कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।